न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :- 07/2019

अपीलान्ट्

गिरधारीलाल पुत्र कनीराम जाति ब्राहमण निवासी हरियाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेंट्स

1. रमेशनाथ पुत्र बालनाथ
2. सुखडी पत्नी केदारनाथ
3. दिनेश पुत्र केदारनाथ
4. पिन्ट पुत्र केदारनाथ
5. लीला पुत्री केदारनाथ
6. कौशल्या पुत्री केदारनाथ
7. मीमादेवी पुत्री बालनाथ सभी जातियान नाथ, निवासी हरियाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर हाल आई, बी कॉलोनी पालेश्वर मार्बल के पास श्रीराम अस्पताल बनाड
8. मिश्रीलाल पुत्र ननूराम जाति ब्राहमण निवासी हरियाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
9. ग्राम पंचायत हरियाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर जरिये सरपंच

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1659 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत हरियाडा

1. अपीलान्ट् - श्री गिरधारीलाल कंसारा अधिवक्ता ।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 7- श्री अशोक कुमार पटेल, अधिवक्ता।
3. रेस्पोडेण्ट सं. 9- श्री लोकेश सोनी अधिवक्ता।

:: निर्णय :: **दिनांक :-** 09/5/25

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि गांव हरियाडा तहसील बिलाडा में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 154 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा के 1/2 भाग के सहखातेदार रमेशनाथ, केदारनाथ पिसरान बालनाथ एवं सायरी बेवा बालनाथ द्वारा अपने अधिकारों का हस्तान्तरण जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 09.02.2001 को अपीलार्थी के पक्ष मे कर दिया गया व इसके आधार पर नामा. सं. 997 दिनांक 27.07.2001 को स्वीकार किया जाकर जमाबंदी में दाखला कर दिया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 20.06.2019 को जमाबंदी की नकल ली तो उसके विक्रेता रमेशनाथ इत्यादी का नाम पुनः जरिये नामा. सं. 1659 की नकल दिनांक 20.06.2019 को प्राप्त की जिसे देखने पर मालुम हुआ की विक्रेता सायरी को मृत बताकर उक्त नामान्तकरण स्वीकार किया गया। अतः नामान्तरकरण सं. 1659 के विरूद्ध यह अपील निम्न आधारों पर पेश है ग्राम

पंचायत ने नामान्तकरण जैर अपील स्वीकार करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। खसरा नंबर 154 के 1/2 भाग के खातेदार रमेशनाथ, केदारनाथ बेटा बालनाथ व सायरी बेवा बालनाथ द्वारा अपने अधिकारों का हस्तान्तरण जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के दिनांक 09.02.2001 को ही अपीलार्थी के पक्ष में कर दिया गया था एवं उसके आधार पर नामान्तकरण सं. 997 अपीलार्थी के पक्ष में स्वीकार कर दिया गया तो फिर किस आधार पर विक्रेता सायरी को 2015 में फौत होना बताकर नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकार किया गया। ऐसा लगता है कि नामान्तरकण की कार्यवाही करने से पहले कोई विधिवत जांच ही नहीं की गई। इस मामले में विरासत का नामान्तरकरण स्वीकार करने का आधार ही नहीं था। जिन व्यक्तियों केदारनाथ व सायरीदेवी को फौत होना बताकर नामान्तरकरण खोला है वे व्यक्ति अपने अधिकारों का हस्तान्तरण सन 2001 में ही अपीलार्थी के नाम से नामान्तकरण भी स्वीकार किया जा चुका था। नामान्तरकरण जैर अपील की कार्यवाही करने से पूर्व एवं इसे स्वीकार करते समय अपीलार्थी को कोई सूचना नहीं दी गई तमाम कार्यवाही बाला बाला करते हुए नामान्तरकरण स्वीकार कर दिया गया। नामान्तरकरण जैर अपील की कार्यवाही करने एवं इसे स्वीकार करने से पूर्व हल्का पटवारी राजस्व निरीक्षक एवं ग्राम पंचायत ने राजस्व रेकर्ड के इन्द्राजों के बारे में कोई जांच नहीं की एवं आंख बंद करके तमाम कार्यवाही कर दी एवं अपालार्थी को अनावश्यक मुकदमें बाजी में धकेल दिया।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे, अपीलाधीन नामान्तरकण निरस्त किया जावे, तथा राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण सं. 997 की स्वीकृति के अनुसार इन्द्राज करने के आदेश फरमाया जावें।

अपीलाण्ट की अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया, रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेण्ट सं. 8 के फौत हो जाने पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश कर रेस्पोडेण्ट सं. 8 का नाम विलोपित करने का निवेदन किये जाने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेण्ट सं. 8 का नाम विलोपित किया गया। रेस्पोडेण्ट सं. 9 की ओर से श्री लोकेश सोनी वकील द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाब पेश नहीं किये जाने हेतु आदेशिका पर हस्ताक्षर किये गये। रेस्पोडेण्ट सं. 1 से 7 की ओर श्री अशोक कुमार पटेल अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 व प्रतिवादी सं. 2 से 6 के पिता केदारनाथ, व प्रतिवादी सं. 1 की माता शायरीदेवी ने ग्राम हरियाडा तहसील बिलाडा में स्थित अपने खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 154 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा में से अपने 1/2 सम्पूर्ण हिस्सा का बैचान जरिये रजिस्टर्डनामा दिनांक 9/2/2001 को कर भूमि का भौतिक कब्जा उसी दिन वादी को सुपुर्द कर दिया था। उक्त बैचाननामा के आधार पर उपरौक्त भूमि का नामान्तरकरण सं. 997 दिनांक 27/7/2001 को राजस्व

रेकर्ड में दर्ज किया गया है। उसके बाद प्रतिवादी सं. 1 की माता शायरी देवी व प्रतिवादी सं. 2 से 6 के पिता/पति केदारनाथ का स्वर्गवास हो जाने से केदारनाथ व शायरीदेवी की मृत्यु के दस वर्ष बाद प्रतिवादीगण सं. 1 से 7 का नामान्तरकरण पटवारी व ग्राम पंचायत के भूलवश पुनः राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज कर दिया गया जबकि प्रतिवादीगण सं. 1 व प्रतिवादी सं. 2 से 7 के पिता व शायरीदेवी द्वारा उपरोक्त खसरान की भूमि का बैचान 2001 में ही वादी को कर दिया था। प्रतिवादीगण सं. 1 से 7 के नाम नामान्तरकरण भूल एवं त्रुटिवश दर्ज कर दिया गया है। कृषि भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेण्टस के नाम हल्का पटवारी राजस्व निरीक्षक एवं ग्राम पंचायत के भूल एंव त्रुटिवश दर्ज कर दिया गया है। नामान्तरकरण अब पुनः अपीलार्थी गिरधारीराम के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 7 को कोई उजर एतराज आपति नहीं है।

अतः जवाब अपील रेस्पोडण्ट/प्रतिवादी सं. 1 से 7 की ओर से पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर उपरोक्त खसरे की भूमि का नामान्तकरण सं. 997 की स्वीकृति के अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावे तो रेस्पोडेण्ट सं. 1 से 7 को कोई आपति नहीं है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील म्यूटेशन संख्या 1659 ग्राम हरियाडा का जो कि रेस्पोडेण्ट 9 द्वारा स्वीकृत किया गया के विरूद्ध पेश की, उक्त म्यूटेशन रेस्पोडेण्ट संख्या 9 द्वारा खातेदार केदारनाथ व सायरी के फौत होने के आधार पर स्वीकृत किया गया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया। जिसका रेस्पोडेण्ट्स द्वारा किसी प्रकार का खण्डन नही किया, इस कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना उचित है। अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत प्रकरण में संलग्न बैचाननामा दिनांक 09.02.2001 के अनुसार रमेशनाथ, केदारनाथ पिसरान बालनाथ, सायरी बेवा बालनाथ द्वारा गिरधारीलाल पुत्र कनीराम जाति ब्राहमण के पक्ष में खसरा नंबर 154 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा निष्पादित किया गया। उक्त बैचाननामा के आधार पर नामा. सं. 997 में गिरधारीराम पुत्र कनीराम 1/2 हिस्सा स्वीकृत किया गया। नामा.सं. 1659 में रमेशनाथ, केदारनाथ पिसरान बालनाथ, सायरी पत्नी बालनाथ दर्ज खातेदारान के स्थान पर खातेदार केदारनाथ व सायरी के फौत होने पर अपीलाण्ट गिरधारीराम के नाम के स्थान पर केदारनाथ, रमेशनाथ व सायरी के वारिसानों के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिये गये जोकि एक लिपिकीय त्रुटि है। रेस्पोडेण्टस सं. 1 से 7 द्वारा जवाब पेश कर अपीलाण्ट की अपील नामा. सं. 997 के अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने हेतु सहमति प्रदान की। हमारा यह विनम्र अभिमत है कि ग्राम पंचायत, हरियाडा द्वारा स्वीकृत नामातंरण संख्या 1659 दिनांक 20.02.2015 को अपास्त

करते हुए हुए तहसीलदार बिलाडा को नामा.सं. 997 दिनांक 27.07.2001 नामान्तरण स्वीकृत किए जानें के निर्देश दिया जाना पूर्णतया विधि संगत एवं उचित रहेगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत नामांतकरण अपील संख्या 07/2019 गिरधारीराम बनाम रमेशनाथ वगैरा, ग्राम पंचायत– हरियाडा अंतर्गत धारा 75, राज.–भू–राजस्व अधिनियम–1956 अपीलार्थी द्वारा भलीभांति साबित करने एवं सारवान होने से स्वीकार करते हुए नामांतकरण संख्या 1659 ग्राम– हरियाडा, तहसील–बिलाडा, निर्णय दिनांक 20.02.2015 अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार बिलाडा को इस दिशा–निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण में नामान्तरकरण सं. 997 दिनांक 27.01.2015 के अनुसार अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा

निर्णय आज दिनांक 09/11/21 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा